भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1068

जिसका उत्‍तर 3 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाना है ।

**.....**

**जल संसाधनों का प्रबंधन**

**1068. श्री हुसैन दलवई :**

 क्‍या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधन प्रबंधन में किन-किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है ;

(ख) क्‍या सरकार इन चुनौतियों से निपटने का विचार रखती है ; और

(ग) ग्‍यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इस दिशा में क्‍या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्‍ताव है ?

**उत्‍तर**

**जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)**

(क) वर्ष 2011 की जनगणना में उल्लिखित जनसंख्‍या के आधार पर भारत में प्रति व्‍यक्ति जल उपलब्‍धता लगभग 1545 घनमीटर है जिसे देखते हुए भारत एक जल की समस्‍या वाला देश है । फॉकेनमार्क जल समस्‍या सूचक के अनुसार 1700 घन मीटर प्रति व्‍यक्ति प्रति वर्ष से कम जल उपलब्‍धता जल की समस्‍या की स्थिति दर्शाती है । इस समस्‍या से संबंधित चुनौतियों का सामना जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए कदम उठा कर किया जाना है । इसके अतिरिक्‍त जल के अति दोहन और जल प्रदूषण के कारण जल के स्‍तर में गिरावट भूजल संबंधी बड़ी चुनौती है ।

(ख) एवं (ग) जल राज्‍य का विषय है और जल संसाधन परियोजनाओं की संकल्‍पना, आयोजना, निष्‍पादन एवं प्रबंधन के लिए आवश्‍यक उपाय करना राज्‍यों की प्राथमिक जिम्‍मेदारी है । संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्‍न कदम उठाए जाते हैं । राज्‍य सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्‍न स्‍कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्‍यम से जल संसाधन के सतत विकास एवं प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्‍साहित करने हेतु राज्‍य सरकारों को तकनीकी एवं वित्‍तीय सहयोग देती है । भारत सरकार ने एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्‍यम से जल संरक्षण, अपव्‍यय में कमी लाने और राज्‍यों में और उनके बीच अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से राष्‍ट्रीय जल मिशन शुरू किया है । मिशन का एक उद्देश्‍य जल उपयोग दक्षता में 20% तक की वृद्धि करना है । यह उद्देश्‍य प्राप्‍त करने के लिए XIIवीं योजना के दौरान सीएडीडब्‍ल्‍यूएम कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन और सूक्ष्‍म-सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाएगा । XIवीं योजना की चालू स्‍कीमों जैसे त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल पंबंधन (सीएडीडब्‍ल्‍यूएम) और जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) को XIIवीं पंचवर्षीय योजना में उन्‍नत किया जा रहा है ।

 भूजल स्‍तर में गिरावट को रोकने के लिए केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड ने XIवीं योजना के दौरान वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्‍मक परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन किया है जिसे समान जलभूवैज्ञानिक पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत राज्‍य सरकारों द्वारा दोहराया जाए । इन उपायों के अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल विकास के विनियमन हेतु और वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण को प्रोत्‍साहित करने के लिए कदम उठा रहा है ।

 मानव द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों के कारण होने वाले भूजल संसाधन प्रदूषण को रोकने के लिए केन्‍द्रीय/राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा आवश्‍यक उपाय किये जाते हैं । भूजल में आर्सेनिक संदूषण की समस्‍या से प्रभावित क्षेत्रों में केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड आर्सेनिक मुक्‍त जलभृतों की पहचान करने के लिए अध्‍ययन करता है ।

\*\*\*\*\*